जावीद अहमद,
आई0पी0एस0

डीजीपरिपत्र संख्या– 63/2016

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।
1, तिलक मार्ग, लखनऊ।

दिनांकः लखनऊ नवम्बर 6, 2016

विषय :– अपराधों में गिरफ्तार अभियुक्तों के फिंगरप्रिन्ट के नमूने लिए जाने हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश।

प्रिय महोदय,

आप अवगत है कि अपराधों के अनावरण एवं अपराधियों को सजा दिलाने में अंगुलि छाप (Finger Print) की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यालय स्तर पर समीक्षा से यह अनुभव किया गया कि जनपद स्तर पर अंगुलि छाप की उपयोगिता एवं प्रक्रिया पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस कारण से अपराधियों के विरूद्ध महत्वपूर्ण साक्ष्य विवेचना में सम्मिलित नहीं हो पाने से उनको लाभ प्राप्त हो रहा है तथा कई महत्वपूर्ण घटनाओं के अनावरण में देर लग रही है। अतः आपसे अपेक्षा करते है कि जनपद स्तर पर अंगुलि छाप लिये जाने की कार्यवाही के सम्बन्ध में विशेष ध्यान दिया जाए। जनपद स्तर पर एक यह भी धारणा है कि मात्र सजायाबी अपराधियों का ही अंगुलि छाप लिया जा सकता है या माननीय न्यायालय के आदेश के उपरान्त ही अंगुलि छाप लिये जा सकते हैं, यह धारणा सही नहीं है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि **बन्दियों की पहचान का अधिनियम 1920 की धारा 4** के अन्तर्गत **अंगुलि तथा पदछाप नियम संग्रह के पैरा 26** के अनुसार ऐसे सभी व्यक्ति, जिनको संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया गया हो और उनका निवास स्थान तथा पूर्व अपराधिकवृत्त ज्ञात न हो अथवा जिन पर फौजदारी का मुकदमा चल रहा हो, जो एक वर्ष या उससे अधिक की सजा से दण्डनीय हो, उनकी पहचान स्थापित करने हेतु उनके अंगुलिछाप तैयार कर अंगुलि चिन्ह ब्यूरो लखनऊ भेजी जानी चाहिए, जिससे यदि उपरोक्त व्यक्ति को पूर्व में कोई सजा मिल चुकी हो, तो मिलान होने की दशा में उस अनजान व्यक्ति की पहचान स्थापित हो जायेगी तथा साथ ही साथ उस अपराधी को पूर्व में मिली सजा की जानकारी मिलेगी, जो भादवि की धारा 75 के अन्तर्गत अधिक दण्ड से दण्डित कराने में सहायक होगी।

इसके अतिरिक्त **बन्दियों की पहचान का अधिनियम 1920 की धारा 3** व **अंगुलि तथा पदछाप नियम संग्रह 1977 के पैरा 32** में वर्णित अपराधों के अन्तर्गत दण्डित अपराधियों की रिकार्ड पत्री जनपदों के अभियोजन शाखा में नियुक्त प्रवीण (Proficient) द्वारा 03 प्रतियों में तैयार कर अंगुलि चिन्ह ब्यूरो लखनऊ भेजी जानी चाहिए। इसी प्रकार **अंगुलि तथा पदछाप नियम संग्रह 1977 के पैरा 32ख** के अन्तर्गत वर्णित अपराध से दण्डित अपराधियों की भी अंगुलि चिन्ह पर्चियां तैयार कर उन पर लाल स्याही से "एक अंकीय" अंकित कर अंगुलि चिन्ह ब्यूरो में रिकार्ड हेतु भेजी जानी चाहिए।

इसी प्रकार **दण्ड प्रकिया संहिता के धारा 157** के अन्तर्गत अपराधिक घटनास्थल पर विवेचक के निर्देशन में जनपद में नियुक्त फील्ड यूनिट की सहायता से चांस अंगुलि चिन्ह लेकर जांच हेतु अंगुलि चिन्ह ब्यूरो लखनऊ भेजे जाने चाहिए। यदि विवेचक या जांचकर्ता को ऐसा संदेह हो कि घटना किसी अन्तर्राज्यीय अपराधी द्वारा कारित की गयी है या अपराधी का सम्बन्ध किसी अन्तर्राज्यीय गिरोह से हो सकता है, तो सम्बन्धित राज्यों के अंगुलि चिन्ह ब्यूरो को भी ऐसे अंगुलि चिन्ह जांच के लिए भेजे जाने चाहिए। यदि विवेचना के मध्य विवेचक/जांचकर्ता द्वारा घटना से सम्बन्धित अपराधियों को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है तो **अंगुलि तथा पदछाप नियम संग्रह के पैरा 26** के अनुसार कार्यवाही करते हुए उनकी अंगुलि छाप तैयार कर घटनास्थल से प्राप्त चांस अंगुलि चिन्हों के साथ अंगुलि चिन्ह ब्यूरो, लखनऊ में परीक्षण हेतु भेजा जाना चाहिए।

मुझे आशा है कि आप इस पूरी प्रकिया को समझ कर अपने अधीनस्थों को भी इसे समझायेंगे तथा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे, जिससे कि अपराधियों को दण्डित करने में सहायता मिले और अभियोजन की दर में बढ़ोत्तरी हो। कृपया अपने जनपद में नियुक्त प्रवीणों की समीक्षा कर ले, यदि रिक्तियां हो तो अपने पुलिस महानिरीक्षक, जोन के माध्यम से अवगत कराएं।

इस सम्बन्ध में आपसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि निम्न प्रारूप में सूचना अपने पुलिस महानिरीक्षक, जोन को प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में प्रेषित करें।

प्रारूप सं0 01

मा0 न्यायालयों द्वारा कितने वादों में सजा सुनाई गई।	मा0 न्यायालयों द्वारा कितने अभियुक्तों के विरूद्ध सजा सुनाई गई।	सजा पाए कितने अभियुक्तों की रिकार्ड स्लिप फिंगर प्रिंट ब्यूरो भेजी गई।	शेष अभियुक्तों की संख्या, जिनकी स्लिप नहीं की गई।
1	2	3	4

प्रारूप सं0 02

जनपद में पंजीकृत विशेष अपराधों की संख्या	अज्ञात अभियुक्तों की संख्या, जिनके अंगुलिछाप मिलान हेतु फिंगर प्रिंट ब्यूरो भेजी गई।	घटनास्थल से कितने चांस प्रिन्ट लिये गए	कितने संदिग्ध व्यक्तियों के फिंगर प्रिंट मिलान हेतु फिंगर प्रिंट ब्यूरो भेजे गए।
1	2	3	4

संलग्नकः उल्लिखित धाराओं के उद्धरण

भवदीय

6.11.16

(जावीद अहमद)

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0, लखनऊ।
2. पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
3. पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ0प्र0, लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून–व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
5. पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0/ए0टी0एस0, उ0प्र0, लखनऊ।
6. **समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ कि प्रवीणों की रिक्तियों की सूचना जनपदों से संकलित कर इस मुख्यालय को दिनांकः 15–11–2016 तक उपलब्ध कराएं एवं जनपदों का भ्रमण के समय उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करने का कष्ट करें। आपसे यह भी अपेक्षा है कि प्रतिमाह प्राप्त होने वाली उपरोक्त सूचना का अनुश्रवण कर उसमें आवश्यक कार्यवाही करेंगे, जिससे अधिक से अधिक अभियोगों के सफल अनावरण व अभियोजन में अंगुलि चिन्ह का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा किया जा सके एवं संकलित सूचना प्रतिमाह निदेशक, फिंगर प्रिंट ब्यूरो को उपलब्ध कराएंगे।**
7. निदेशक, फिंगर प्रिंट ब्यूरो समस्त जोन से प्रतिमाह प्राप्त सूचना की समीक्षा कर पाई जा रही कमियों के सम्बन्ध में जोनवार समीक्षात्मक नोट प्रतिमाह अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे।

Central Government Act

The Identification of Prisoners Act, 1920

THE IDENTIFICATION OF PRISONERS ACT, 1920

Section 3 of the Act would be particularly useful for these purposes, dealing as it does with the taking of measurements etc. of convicted persons or persons who have been ordered to give security for good behaviour. Here, the section looks to the future.

Measurements so taken may also be useful in cases where there is a suspicion (at the time of taking measurements or other evidence for identification) that the person made to undergo this procedure has had a previous conviction.' Here, the section looks to the past.

(b) Secondly, identification may be necessary for the purpose of an investigation into an alleged ofi'ence in order to establish the identity of the person arrested with the actual culprit, on the basis of the demonstrative evidence. Ultimately, the material so collected would be tendered as evidence, mainly under section 9 of the Evidence Act. Sections 4 and 5 of the Act of 1920 are primarily concerned with this aspect. Section 7 is also, to some extent, concer- ned with such identification.

(c) Thirdly, identification may be useful to establish a previous conviction--i.e. iden- tity of the arrested person with a person previously convicted. Section 3 would be useful in this context? Such previous conviction may itself be admissible in evidence either for impos- ing higher punishment or (in some cases) as a relevant fact or fact in issues.

(d) Finally, identification may be useful for statistical purposes,----for example, measure- ments of convicted persons may be collected and analysed in order to confirm or reject any theories of anthropoligical interest that may be put forth in regard to criminals. The Act of 1920 does not directly concern itself with this aspect. But measurements and other material taken under the Act can be used for such purpose also, if necessary.

IV. Scheme ofthe Act Scheme of the Act-.

3.11. Let us now see how the Act seeks to achieve these objectives. The scheme of the Act briefly is this. The first two sections deal with preliminary matters (short little, extent of the Act and definitions). Various species of demonstrative evidence that can be procured form the subject matter of three operative provisions---sections 3, 4, and 5--which confer on the specified authorities power to take such evidence.

3.12. Here the Act employs a dichotomy. It makes a distinction between (i) situations D'o"o'o"~-"~ where the power to take such evidence is given to a police officer (of the prescribed rank), and

(ii) situations where an order of the Magistrate is considered a pre-requisite before taking such evidence. The distinction so made is obviously based on the solicitudc of the law for the free- dom of the individual even while he is under arrest.

3.13 The operative provisions of the Act are : P1_oviSions8nMys9_ Section 3--Taking of measurements etc. of convicted persons.

Section 4----Taking of measurements etc. of non-convicted persons arrested for an offence punishable with rigorous imprisonment for one year or upwards.

उत्तर प्रदेश
अंगुली तथा पद-छाप नियम संग्रह
1977

२६—सभी "अनजान" व्यक्तियों, जिन्हें सन्देह में गिरफ्तार किया जाय या जिन पर फौजदारी का अभियोग चल रहा हो, के अंगुली-छाप लिये जायेंगे तथा अन्वेषण के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे। इस प्रयोजन के लिये हिरासत में लिया हुआ प्रत्येक व्यक्ति, जिसके निवास-स्थान तथा पूर्ववृत्त का पुलिस अनुसंधान से ठीक-ठीक पता नहीं चल सका, 'अनजान' माना जायगा।

किन व्यक्तियों के अंगुली-छाप अन्वेषण के लिये, लिये जाने चाहिये

उन व्यक्तियों के जो ऐसे अपराधों में गिरफ्तार किये जायं जिनमें एक या एक से अधिक वर्ष की कड़ी कैद का दंड दिया जा सके, अंगुली छाप लेने का अधिकार पुलिस को है, परन्तु अन्य मामलों में किसी मैजिस्ट्रेट की आज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य है। Identification of Prisoners Act (१९२० का ३३वां अधिनियम) का पैरा ३२ भी देखें।

३२—(क) राज्य तथा केन्द्रीय अंगुली-छाप ब्यूरो दस अंकीय अभिलेख — निम्नलिखित श्रेणी के व्यक्तियों को चाहे वे बालक हों या युवा, स्त्री हो या पुरुष या नपुंसक, अंगुली-छाप पर्चियां, राज्य व केन्द्रीय अंगुली-छाप ब्यूरो में दस अंकीय स्थायी अभिलेख के लिए ली जायगी।

वे व्यक्ति जिनके अंगुली-छाप दस अंकीय तथा एक अंकीय अभिलेख के लिये लेने चाहिये

(१) भारतीय दण्ड संहिता (Indian Penal Code)—

अध्याय ५ (V) सभी व्यक्ति जिन्हें धारा १०६ व ११४ के अन्तर्गत इस पैराग्राफ में वर्णित अपराधों के लिए दण्ड दिया गया हो।

अध्याय ५-क (V-A) धारा १२०-ख के अन्तर्गत इस पैराग्राफ में लिखित अपराधों के सम्बन्ध में दण्डनीय षड्यन्त्र के लिए।

अध्याय ६ (VI) धारा १२१ से १३२ तक।

अध्याय ९ (IX) धारा १७०।

अध्याय १२ (XII) धारा २३१ से २६३ तक।

अध्याय १६ (XVI) धारा ३०२, ३०४, ३०७, ३०८, ३११, ३२५, ३२६, ३२७, ३२८, ३२९, ३३२, ३३३, ३३८, ३६३ से ३७३।

अध्याय १७ (XVII) धारा ३७९ से ४२५ तक, ४२७ से ४४० तक और ४४८ से ४६२ तक।

अध्याय १८ (XVIII) धारा ४६५ से ४७७-क तक, ४८९-क, ४८९-ख, ४८९-ग तथा ४८९-घ।

अध्याय २३ (XXIII) सभी व्यक्ति जिन्हें इस पैराग्राफ में वर्णित सभी अपराधों के प्रयत्न के लिए धारा ५११ में दण्ड दिया गया हो।

अध्याय ५-क तथा १७ (V-A तथा XVII) गिरोहबन्दी, डकैती तथा दण्डनीय तथा षड्यंत्र के मामलों के मुखबिर (approvers)।

(२) दंड प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code)—ऐसे सभी व्यक्ति जिन्हें धारा १०९ और ११० के अन्तर्गत बंध-पत्र भरने के आदेश दिए गए हों।

(३) ऐसे सभी व्यक्ति जिन पर हथियार, अफीम, घातक औषधियों या शराब के अवैध व्यापारी या तस्कर (Smugglers) व्यापारी होने का सन्देह हो, और जिन्होंने—

आर्म्स ऐक्ट—धारा १९ व २०

ओपियम ऐक्ट—धारा ९

इंडियन ड्रग्स ऐक्ट—धारा १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७ और १८।

एक्साइज ऐक्ट—धारा ६०।

में सजा पाई हो।

(४) इंडियन रेलवे ऐक्ट, १८९० की ऐक्ट सं० ९—ऐसे [सभी व्यक्ति जिन्हें धारा १०१, १२६ और १२८ के अन्तर्गत दंड दिया गया हो।

(५) टेलीग्राफ वायर्स (अनलाफुल पजेशन) ऐक्ट (१९५० की ऐक्ट संख्या ७९)—सभी व्यक्ति जिन्हें धारा ५ के अन्तर्गत दंड दिया गया हो।

(६) दि रेलवे प्रापर्टी (अनलाफुल पजेशन) ऐक्ट (१९६६ की ऐक्ट सं० २९)—इस अधिनियम के अन्तर्गत सिद्धदोष समस्त व्यक्ति।

(७) आफिशियल सिक्रेट ऐक्ट (१९२२ की ऐक्ट सं० १९)—धारा ३, ५, ६, ७, ८, ९ और १० में दंडित सभी व्यक्ति।

(८) एक्सप्लोसिव सब्सटेन्सेज ऐक्ट (Explosive Substances Act) (१९०८ की ऐक्ट संख्या ६)—धारा ३, ४, ५ और ६ में दंडित सभी व्यक्ति।

(९) फारेनर्स ऐक्ट (Foreigners Act) (१९४६ की ऐक्ट संख्या ३१)—ऐसे सभी विदेशी, जिनको धारा १४ के अन्तर्गत दंड दिया गया है या धारा ३ के अन्तर्गत देश से बाहर चले जाने की आज्ञा दी गई हो।

(१०) फारेन एक्सचेन्ज रेगुलेशन ऐक्ट (Foreign Exchange Regulations Act) (१९४७ की ऐक्ट संख्या ७)—ऐसे सभी व्यक्ति जिनको धारा २३ के अन्तर्गत दंड दिया गया हो।

(११) ऐसे सभी पेशेवर (Professionals) अपराधी तथा वे व्यक्ति जिनका आचरण खतरनाक हो तथा जिन्हें किसी भी राज्य के कानून के अन्तर्गत किसी क्षेत्र से बाहर रहने की आज्ञा दी गई हो।

(१२) ऐसे सभी व्यक्ति जिनको तोड़-फोड़ या राज्य के विरुद्ध विध्वंसक कार्यवाही के लिए दंड दिया गया हो।

(१३) ऐसे सभी व्यक्ति जिन पर पेशेवर भ्रमणशील अपराधी (professional itinerant criminals) होने का सन्देह हो और जो कुख्यात अपराधी हों तथा जो अपने घर से अनुपस्थित रहने के अभ्यासी हों तथा जिनके विषय में यह धारणा हो कि वे अपराध करने के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं तथा जो गिरफ्तार किये जा चुके हों अथवा जिनके अंगुली-छाप ले लिये गये हैं, भले ही वे छोड़ दिये गये हों। परन्तु दंड से मुक्ति की दशा में उनके अंगुली-छाप का अभिलेख रखने के लिये न्यायालय से आइडेन्टीफिकेशन आफ प्रिजनर्स ऐक्ट (Identification of Prisoner Act) (१९२० की ऐक्ट संख्या ३३) की धारा ७ के अन्तर्गत अनुमति ले ली गई हो।

(१४) ऐसे सभी दंडित व्यक्ति जो ऊपर लिखी श्रेणी में तो नहीं आते परन्तु जिनका स्थायी अभिलेख रखना वांछनीय समझा जाता है। उन हवालातियों के, जिन पर ऐसे अपराधों के लिये मुकदमें चल रहे हैं। जिनमें एक वर्ष से कम की कड़ी सजा दी जा सकती है, अंगुली-छाप लेने के विषय में अनुसंधान या मुकदमें के समय ही यह निश्चय कर लेना चाहिये और मैजिस्ट्रेट की अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिये क्योंकि उनको सजा देने या छोड़ देने के पश्चात्, अंगुली-छाप लेने का अधिकार नहीं है। (धारा ५, आइडेन्टीफिकेशन आफ प्रिजनर्स ऐक्ट)।

(१५) किसी भी व्यक्ति जिसके अंगुली-छाप रखने का आदेश भारत सरकार या राज्य सरकार आइडेन्टीफिकेशन आफ प्रिजनर्स ऐक्ट (१९२० की ऐक्ट संख्या ३३) के अधीन समय-समय पर दिये हों।

(१६) उन सभी व्यक्तियों के जिनको किसी दूसरे राज्य में सजा दी गई, जिनका निवास इस राज्य में बताया जाता है, भले ही उसका सत्यापन न हुआ हो, इस शर्त के साथ कि उनके अंगुली-छाप १९२० के ऐक्ट संख्या ३३ (Identification of Prisoners Act) के अनुसार लिये गये हों तथा जहां उक्त ऐक्ट (अधिनियम) की धारा ७ के अन्तर्गत अंगुली-छापों के रखने के लिये मैजिस्ट्रेट की आज्ञा लेना आवश्यक है, ले ली गई हो।

(१७) ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी किसी भी कानून के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में तलाश है जिनके नाम अभिलेख पर नहीं हैं तथा जिनके अंगुली-छाप उपलब्ध हैं।

(१८) राज्य ब्यूरो केन्द्रीय अंगुली-छाप ब्यूरो को अंगुली-छाप पर्चों की प्रतिलिपि भेजेगी ।

(१) ऐसे सभी भारतीय नागरिक जिनको भारत के बाहर किसी भी अपराध में दंड दिया गया हो जिसके कारण उनके अंगुली-छाप उन देशों के ब्यूरो से प्राप्त हुए हों ।

(२) ऐसे सभी अन्तर्राष्ट्रीय अपराधी तथा फरार व्यक्ति (International criminals and absconders) जिनके अंगुली-छाप भारत के बाहर के देशों से ब्यूरो में प्राप्त हुए हों ।

(ख) आगरा, इलाहाबाद, बरेली, फैजाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद और वाराणसी के ग्यारह जिलों के लिये, जहाँ फील्ड यूनिटें स्थित हैं, भारतीय दण्ड संहिता की धारायें ३८०, ४५४, ४५७ और ४६१ के अधीन निम्नलिखित श्रेणी के दंडित व्यक्तियों का अंगुली-छाप अभिलेख लखनऊ के 'एक अंकीय ब्यूरो' में रखा जायगा :—

(क) उक्त ग्यारह जिलों के निवासी, जो अपने निवास के जिले में दण्डित किये गये हों ।

(ख) अन्य स्थानों के निवासी, जो उक्त ग्यारह जिलों में दण्डित किये गये हों ।

(ग) उक्त ग्यारह जिलों के निवासी जो अन्य स्थानों पर दण्डित किये गये हों ।

(घ) समस्त बावरिया तथा भूतपूर्व अपराधी जातियों के अन्य सदस्य जो, इस राज्य के निवासी हों तथा राज्य में या राज्य के बाहर कहीं पर भी दण्डित किये गये हों ।

तदनुसार उपर्युक्त प्रकार के बन्दियों की अंगुली-छाप अभिलेख पर्चियों की दो अतिरिक्त प्रतियाँ (पहली एक अंकीय अभिलेख और दूसरी एक-हस्त-अभिलेख के लिये) जिलों से सम्बद्ध प्रवीणों द्वारा तैयार की जायगी और अभिलेख के लिए एक अंकीय ब्यूरो, वैज्ञानिक अनुभाग, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश, महानगर, लखनऊ को अग्रसारित की जायगी । इन दोनों अतिरिक्त अभिलेख पर्चियों में सामने की ओर शीर्ष भाग पर लाल स्याही से बड़े अक्षरों में 'ए० अं० ब्यू०' (एस० डी० बी०) चिन्हित कर दिया जायगा जिससे कि वे उन अभिलेख पर्चियों से भिन्न समझी जा सकें, जो इलाहाबाद के अंगुली-छाप ब्यूरो में इस अंकीय अभिलेख के निमित्त अग्रसारित की जाती हैं ।

(ग) केन्द्रीय अंगुली-छाप ब्यूरो (Central Finger Print Bureau) एक संकीय अभिलेख—निम्न श्रेणी के अन्तर्राज्य या अन्तर्राष्ट्रीय अपराधियों के अंगुली-छाप उनकी, कार्य-प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी सहित, केन्द्रीय अंगुली-छाप ब्यूरो में एक अंकीय अभिलेख के लिये रखे जायेंगे :—

(क) मोटर गाड़ियों के चोर (Auto thieves);

(ख) होटलों म चोरी करने वाले (Hotel thieves);

(ग) विष देने वाले (Poisoners);

(घ) जाली नोट तथा सिक्के बनाने वाले (Forgera of notes and coins);

(ङ) ठग (cheats)।

टिप्पणी—(१) उपर्युक्त उप पैराग्राफ के अन्तर्गत आने वाले मामलों में, जिनमें अंगुली-छाप अभिलेख के लिये भेजना आवश्यक समझा जाय, सरकारी अभियोक्ता (Public Prosecutor) को चाहिये कि वे दैनिक रिपोर्ट में सम्बद्ध व्यक्ति के अंगुली-छाप के नीचे यह लिखें कि ऊपर के उप-पैरा के (क), (ख) तथा (ग) में से किसके अनुसार अंगुली-छाप को ब्यूरो में सुरक्षित रखने की सिफारिश करते हैं। यदि पुलिस अधीक्षक सिफारिश को मान लेते हैं तो उन्हें अपनी स्वीकृति के साक्ष्य में प्रविष्टि पर अपने संक्षिप्त हस्ताक्षर बना देने चाहिये।

टिप्पणी—(२) अंगुली-छाप का लेना तथा परिचय रखना (आइडेन्टीफिकेशन आफ प्रिजनर्स ऐक्ट) (१९२० की ऐक्ट संख्या ३३) से अनुशासित होता है। इस ऐक्ट (अधिनियम) की धारा ४ और ७ के अनुसार पुलिस को यह अधिकार है कि उन व्यक्तियों के जिनको ऐसे अपराधों के लिये गिरफ्तार किया गया है तथा दंड दिया गया है जिसमें एक वर्ष या अधिक का दंड दिया जा सकता है, अंगुली-छाप ले और सुरक्षित रखें। अन्य अपराधों में, जिनमें ऐसी सजा न दी जा सके या उन मामलों में जिनमें अपराधी को दंड मुक्त कर दिया गया है या जिन पर मुकदमा नहीं चलाया गया, परन्तु यह उचित समझा जाता है कि उसकी अंगुली-छापों का स्थायी अभिलेख रखा जाय तो ऐसे व्यक्तियों के अंगुली-छाप लेने तथा सुरक्षित रखने के लिये उपर्युक्त ऐक्ट (अधिनियम) की धारा ५ और ७ के अन्तर्गत मजिस्ट्रेट की स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिये।

टिप्पणी—(३) न्याय पंचायतों द्वारा दंडित व्यक्तियों के अंगुली-छाप अभिलेख के लिये नहीं लिये जायेंगे।

बंदियों की पहचान का अधिनियम

(1920 का 33वां एक्ट)

[illegible] लोगों का [illegible] लेने का अधिकार देने का अधिनियम

[illegible] अपराधियों तथा अन्य लोगों की नाप (measurements) [illegible] आवश्यक [illegible] है, अतः यह कानून निम्न प्रकार है।

1. संक्षिप्त नाम तथा विस्तार (Short Title and extent) — (अ) यह अधिनियम बंदियों की पहचान का एक्ट 1920 कहलायेगा। (ब) यह समस्त भारत में [illegible]।

2. परिभाषायें — इस अधिनियम में जब तक कोई बात विषय अथवा प्रसंग के [illegible] न हो,

(अ) "नाप" (measurements) में [illegible] और [illegible] की छाप [illegible] है।

(ब) "पुलिस अधिकारी" [illegible] है [illegible] अधिकारी, जो एक पुलिस स्टेशन [illegible] 1898 के [illegible] में [illegible] अध्याय के अनुसार [illegible] पुलिस अधिकारी [illegible]।

(स) "निर्दिष्ट" (Prescribed) का अर्थ है इस एक्ट के अनुसार [illegible]।

[illegible] अपराधी व्यक्ति (Convicted person) [illegible]

(अ) [illegible] व्यक्ति [illegible] सजा पा चुका हो [illegible] कैद से दण्डनीय है अथवा [illegible] के लिए [illegible] सकती है अथवा

[illegible] 1898 के [illegible] की 118 धारा के अनुसार [illegible] आज्ञा दी गयी हो तो यदि पुलिस अधिकारी को [illegible] आवश्यक हो तो अपनी नाप और चित्र [illegible] ढंग (Prescribed manner) [illegible]।

[illegible] व्यक्तियों की नाप लेना जो [illegible] नहीं हैं — कोई भी व्यक्ति जो किसी अपराध के [illegible] गिरफ्तार किया गया हो जिसमें एक वर्ष [illegible] अधिक [illegible] की सजा दी जा सकती है तो यदि पुलिस अधिकारी को आवश्यक होगी तो वह नाप स्वीकृत ढंग से लेने देगा।

धारा 5 — यदि मजिस्ट्रेट संतुष्ट (Satisfied) है कि किसी जाँच, पड़ताल [illegible] 1898 के [illegible] विधान के अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी नाप अथवा चित्र लेने की [illegible] आज्ञा देना उचित है तो वह उस [illegible] में आज्ञा [illegible] और उस [illegible] व्यक्ति [illegible] निर्दिष्ट समय और स्थान में उपस्थित [illegible] और [illegible] पुलिस [illegible] को अपनी नाप [illegible] लेने की स्वीकृति देगा।

[illegible] कोई भी आज्ञा इस धारा के अनुसार नहीं दी जायेगी जब तक [illegible] और पड़ताल के सम्बन्ध में गिरफ्तार न किया गया हो।

(18)

धारा 6 — नाप आदि लेने में [illegible] (1) यदि कोई व्यक्ति को इस अधिनियम के अनुसार अपनी नाप अथवा चित्र [illegible] के लिये बुलाया गया है उसमें [illegible] करता है तो नियमानुसार उसकी लेने के लिये सभी आवश्यक उपाय [illegible] में लाये जा सकेंगे।

(2) इस अधिनियम के अनुसार नाप अथवा चित्र लेने में [illegible] भारतीय दण्ड संहिता की धारा 186 के अनुसार अपराध समझा जायेगा।

धारा 7 — [illegible] चित्र और नाप इत्यादि के रिकार्डों की समाप्ति — जहां कोई व्यक्ति पहले किसी अपराध में एक वर्ष अथवा उससे अधिक की अवधि के लिए दण्डित न किया गया हो और उसकी नाप अथवा चित्र इस धारा के अंतर्गत नियमों के अनुसार लिए गए हों, वह किसी न्यायालय से [illegible] बिना मुकदमे के छोड़ दिया गया अथवा [illegible] किया गया हो तो उसकी नाप अथवा चित्र (उतारे अथवा लिए [illegible] दोनों [illegible] Both negative and copies) जो ले गये हैं, [illegible] न्यायालय [illegible] (जो [illegible] मुकदमा [illegible] हो) जिला अधिकारी [illegible] लिखित कारणों को दर्ज किये गये हों अथवा अन्य आज्ञा [illegible] जायेगी अथवा उसे [illegible] जायेगी।

धारा 8 — (1) राज्य सरकार इस अधिनियम में [illegible] को [illegible] के लिये नियम बना सकती है।

(2) [illegible] नियमों को [illegible] ऐसे नियम [illegible]

(अ) धारा 5 के अंतर्गत [illegible] नियमन।

(ब) [illegible] लिए जा सकते हैं।

(स) [illegible] उसका प्रकार (nature)।

(द) [illegible] वर्ग अथवा वर्गों (class or classes) [illegible] गये हों।

(इ) [illegible] धारा 7 के अनुसार [illegible] लिया जाय [illegible]

(ई) [illegible] की सुरक्षा (Safe Custody) [illegible] और निस्तारण (Disposal)।

धारा 9 — इस अधिनियम अथवा इसके अधीन [illegible] नियमों के अंतर्गत [illegible] पूर्वक की गई किसी कार्यवाही के [illegible] किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई मुकदमा या अन्य कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।